7467

आ०/ परमण

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल भवन बी– ब्लाक, नेहरू कालोनी, देहरादून–248001.
दूरभाष :– 0135-2676260, फैक्स :– 0135-2676177,

पत्रांक 7113 / वि0अनु0 / 02 / शा0अनु0–162590(52) / 2023–24 दिनांक : 31-10-23

अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
पिथौरागढ़।

विषयः **जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत 03 राजकीय भवनों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

शासनादेश सं0–162590 / 2023, ई0प0सं0 63415 / 2023 पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 से जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत 03 राजकीय भवनों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) कार्यों हेतु विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि **₹ 46.09** लाख (₹ छियालीस लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासनीक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु स्वीकृत की गयी है।

आपको शासनादेश की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि टी0ए0सी0 से परीक्षित प्राक्कलन की नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशों, शर्तो एंव अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का नियमानुसार अनुपालन करते हुए उपयोगिता समयान्र्तगत प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नकः–शासनादेश की प्रति।

8/11/2023

(आर.के. रोहेला)
महाप्रबन्धक(मु0)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :–
प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़।
2. सचिव (अप्रैजल), उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़
4. टी0ए0सी0 अनुभाग, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन, नेहरू कालोनी, देहरादून।

महाप्रबन्धक(मु0)

प्रेषक,

डी०एम०एस० राणा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 18 अक्टूबर, 2023

विषय:- **जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत 03 राजकीय भवनों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली** (Rain Water Harvesting System) **कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–6476/T.A.C.2023-24 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 राजकीय भवनों में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) कार्यों हेतु विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 46.09 लाख (₹ छियालीस लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	उत्तराखण्ड जल संस्थान तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ		
		निर्माण कार्य	अधिप्राप्ति के अन्तर्गत	कुल लागत
01	02	04	05	06
01	जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत एस0डी0एस0रा0इ0का पिथौरागढ़ में भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किये जाने हेतु	15.43	2.84	18.27
02	जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत ल0सि0म0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिथौरागढ़ में भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किये जाने हेतु	15.43	2.26	17.69
03	जनपद पिथौरागढ़ में पिथौरागढ़ शाखा के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, गैना–एंचोली पिथौरागढ़ में भवन में वर्षा जल संरक्षण प्रणाली निर्मित किये जाने हेतु	8.79	1.34	10.13
	योग :-	39.65	6.44	46.09

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(2) स्वीकृत [illegible] धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपयोग [illegible]
[illegible]

स्वीकृति/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शैडयूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हों की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रश्नगत शासकीय भवनों पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली का कार्य सम्बन्धित विभागों की अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(vii) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माह/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(viii) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215 जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान–00–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि उपयोग हेतु वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–I/111469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/111469/09(150)2019/XXVII(1)2023 दिनांक 31.03.2023 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय

Signed by D[illegible]ve Mohan Singh Rana
Date: 17-10-2023 17:17:35

(डी0एम0एस0 राणा)
संयुक्त सचिव।

पृ0 संख्या– /ई0प0सं0–63415/2023 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2 जिलाधिकारी, देहरादून।
3 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

-II3/80238/2023-XXIX-B-1(Water Department)(Computer No. 63415)
WS-B/WS-B-II3/80238/2023-XXIX-B-1(Water Department)(Computer No. 63415)

कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून।
निदेशालय, देहरादून।
अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Signed by Vivek Kumar Jain

Date: 17-10-2023 17:21:50

(विवेक कुमार जैन)

उप सचिव।